आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०—211/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री राधे श्याम चौधरी —— विक्रेता
प्रति
श्री मुन्द्रिका ठाकुर—— क्रेता

—:आदेशः—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री राधे श्याम चौधरी, पिता—स्व० बैजनाथ चौधरी, ग्राम—ओखरगाड़ा (टोला—चटनियां), पोस्ट—ओखरगाड़ा, थाना—मेराल, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री मुन्द्रिका ठाकुर, पिता—स्व० प्राण ठाकुर, ग्राम—ओखरगाड़ा (टोला—चटनियां), पोस्ट—ओखरगाड़ा, थाना—मेराल, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मेराल से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेराल के पत्रांक 150/दिनांक 15.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के बाबा के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के मल्लाह (पिछड़ा वर्ग) क्रेता जाति के नाई हजाम (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल—कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू—हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, मेराल के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री राधे श्याम चौधरी, पिता—स्व० बैजनाथ चौधरी, ग्राम—ओखरगाड़ा, पोस्ट—ओखरगाड़ा (टोला—चटनिया), थाना—मेराल, जिला—गढ़वा ने क्रेता श्री मुन्द्रिका ठाकुर, पिता—स्व० प्राण ठाकुर, ग्राम—ओखरगाड़ा (टोला—चटनियां), पोस्ट—ओखरगाड़ा, थाना—मेराल, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः—

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
ओखरगाड़ा (टोला—संखड़ियां)	252	440	935	0.04½	उ०—अरविन्द कुमार, द०—गोपाल साव, पू०—कुर्बान शेख, प०—पक्की सड़क,
कुल रकबाः—				0.04½	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

22/03/23
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

22/03/23
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.04.11 12:13:41 +05:30
Location: 192.168.18.160

Scanned with CamScanner